ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L00-04/15

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
18.06.15	01 विद्युत उपभोक्त शिकायत निवारण फोरम इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0288114 मेसर्स बसंत केटल फीड इण्डस्ट्रीज विरूद्ध मुख्य अभियंता (इ.क्षे.), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर में पारित अदेश दिनांक 19.1.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से दिनांक 19.2.2015 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 6.5.2015 को उभय पक्ष के तर्क सुनेजाकर मामला आदेश के लिए नियत किया गया था। 02 अन्तरिम दिनांक 8.6.2015 को दिए गए आदेश के अनुसरण में माननीय विद्युत नियामक आयोग से जानकारी प्राप्त किये जाने पर विद्युत नियामक आयोग के सचिव ने अपने पत्र क्रमांक एमपीईआरसी/आरई/2015/1011 दिनांक 11.6.2015 के द्वारा जो जानकारी प्रेषित की है उससे यह तथ्य साबित होता है कि उपभोक्ता ने संबंधित फोरम के प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 5.3 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उक्त फोरम को उचित निर्देश दिये जाने हेतु आवेदन माननीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। 03 फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते समय यदि नियम तथा निर्देशों के विपरीत कार्य किया है। उस स्थिति में विद्युत नियामक आयोग को यह अधिकार है कि वह फोरम को तत्संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान करे।	

04 फोरम के प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण माननीय आयोग के आदेश के पूर्व किया जाना विधि संगत नहीं होगा।

अतः उपभोक्ता की ओर से आयोग के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किये जाने तक इस मामले में अंतिम कार्यवाही स्थगित की जाती है।

05 उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा उपभोक्ता के आवेदन का निराकरण किये जाने पर आयोग के आदेश की प्रति तत्काल पेश की जावे।

06 आदेश की निःशुल्क प्रति संबंधित पक्षकारों को भेजी जाए।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1 आवेदक की ओर प्रेषित ।

2 अनावेदक की ओर प्रेषित ।

3 फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल